उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 15

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	113931.15	1243.11	115174.26	121038.41	51197.02	172235.43	437458.00	11190.72	448648.72	251248.34	52725.96	303974.30
वसूलियां	-1.74	...	-1.74	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	-50000.00	-50000.00	...	-10000.00	-10000.00	...	-50000.00	-50000.00
निवल	113929.41	1243.11	115172.52	121038.41	1197.02	122235.43	437458.00	1190.72	438648.72	251248.34	2725.96	253974.30
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	65.25	...	65.25	71.46	...	71.46	70.70	...	70.70	73.91	...	73.91
2. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर	20.03	5.52	25.55	22.51	7.02	29.53	20.70	4.32	25.02	22.63	5.75	28.38
3. खाद्य, गोदाम और भांडागारण के अन्य स्थापना व्यय	16.26	...	16.26	20.16	...	20.16	19.50	...	19.50	21.01	...	21.01
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बंधित केंद्रीय सतर्कता समिति	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**101.54**	**5.52**	**107.06**	**114.13**	**7.02**	**121.15**	**110.90**	**4.32**	**115.22**	**117.55**	**5.75**	**123.30**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
खाद्य सब्सिडी												
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य राजसहायता	75000.00	...	75000.00	77982.54	...	77982.54	344077.00	...	344077.00	202616.00	...	202616.00
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति के लिए खाद्य राजसहायता	33508.35	...	33508.35	37337.14	...	37337.14	78337.77	...	78337.77	40000.00	...	40000.00
7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी राजसहायता	180.00	...	180.00	250.00	...	250.00	203.37	...	203.37	220.00	...	220.00
जोड़-खाद्य सब्सिडी	**108688.35**	**...**	**108688.35**	**115569.68**	**...**	**115569.68**	**422618.14**	**...**	**422618.14**	**242836.00**	**...**	**242836.00**
8. भारतीय खाद्य निगम को देय अर्थोपाय अग्रिम												
8.01 भारतीय खाद्य निगम को देय अर्थोपाय अग्रिम	...	...	...	...	50000.00	50000.00	...	10000.00	10000.00	...	50000.00	50000.00
8.02 भारतीय खाद्य निगम को देय अर्थोपाय अग्रिम का पुनर्भुगतान	...	...	...	...	-50000.00	-50000.00	...	-10000.00	-10000.00	...	-50000.00	-50000.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के राज्य के भीतर और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन के लिए राज्य की एजेंसियों को सहायता	1678.78	...	1678.78	3982.54	...	3982.54	8000.00	...	8000.00	4000.00	...	4000.00
10. चीनी मौसम 2017-18 के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम	54.59	...	54.59	...	...	...	10.00	...	10.00	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11. चीनी मौसम 2018-19 के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम	2000.00	...	2000.00	200.00	...	200.00	1163.00	...	1163.00	200.00	...	200.00
12. चीनी के 40 एलएमटी के बफर स्टॉक का सृजन और अनुरक्षण की स्कीम	99.97	...	99.97	200.00	...	200.00	500.00	...	500.00	600.00	...	600.00
13. चीनी के बफर स्टॉक का सृजन और अनुरक्षण की स्कीम	430.08	...	430.08	...	...	...	150.00	...	150.00	50.00	...	50.00
14. चीनी मौसम 2019-2020 के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम	100.00	...	100.00	500.00	...	500.00	3900.00	...	3900.00	1000.00	...	1000.00
15. इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	150.00	...	150.00	300.00	...	300.00
16. निर्यात के संबंध में आतंरिक परिवहन, मालभाड़ा, देखरेख तथा अन्य प्रभारों का भुगतान करने हेतु स्कीम	550.00	...	550.00	200.00	...	200.00	350.00	...	350.00	...	...	...
17. चीनी मिलों को सरल ऋण प्रदान करने संबंधी स्कीम	100.00	...	100.00	120.00	...	120.00	418.00	...	418.00	...	...	...
18. निर्यात खेपों पर चीनी कारखानों को आतंरिक परिवहन तथा भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति और अन्य अनुज्ञेय दावों का भुगतान	0.63	...	0.63	...	...	...	0.36	...	0.36	...	...	...
19. चीनी के निर्यात पर हैंडलिंग, अपग्रेडिंग और अन्य कार्रवाई सबंधी लागत सहित विपणन लागत तथा अंतर्राष्ट्रीय और आतंरिक परिवहन की लागत एवं माल भाड़ा प्रभारों पर किए गए व्यय हेतु चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2000.00	...	2000.00
चीनी उद्योग का विकास												
20. चीनी उद्योग के विकास की स्कीमें												
20.01 चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता/अन्य व्यय	21.00	...	21.00	22.00	...	22.00	30.00	...	30.00	22.00	...	22.00
20.02 चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन /आधुनिकीकरण के लिए ऋण	...	10.00	10.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	10.00	10.00
20.03 गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण	...	...	...	...	5.00	5.00	...	1.40	1.40	...	5.00	5.00
20.04 विद्युत परियोजनाओं के खोई आधारित सह-उत्पादन चीनी कारखानों को ऋण	...	43.59	43.59	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	70.00	70.00
20.05 एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को ऋण	...	135.00	135.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	80.00	80.00
जोड़- चीनी उद्योग के विकास की स्कीमें	*21.00*	*188.59*	*209.59*	*22.00*	*150.00*	*172.00*	*30.00*	*146.40*	*176.40*	*22.00*	*165.00*	*187.00*
21. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन का सुदृढ़ीकरण	9.02	...	9.02	8.70	...	8.70	8.06	...	8.06	8.17	...	8.17
22. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समेकित प्रबंधन	20.21	...	20.21	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
23. भंडारण और गोदाम	13.58	49.00	62.58	10.00	40.00	50.00	4.00	40.00	44.00	4.79	55.21	60.00
24. वास्तविक वसूलियां	-1.74	...	-1.74	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**113814.47**	**237.59**	**114052.06**	**120887.92**	**190.00**	**121077.92**	**437326.56**	**186.40**	**437512.96**	**251045.96**	**220.21**	**251266.17**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
25. भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण	12.80	...	12.80	16.36	...	16.36	11.54	...	11.54	14.83	...	14.83
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
26. हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड												
26.01 एचवीओसी को सहायता	0.60	...	0.60	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27. भारतीय खाद्य निगम की इक्विटी पूंजी में निवेश	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	2500.00	2500.00
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	**0.60**	**1000.00**	**1000.60**	**...**	**1000.00**	**1000.00**	**...**	**1000.00**	**1000.00**	**...**	**2500.00**	**2500.00**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**13.40**	**1000.00**	**1013.40**	**16.36**	**1000.00**	**1016.36**	**11.54**	**1000.00**	**1011.54**	**14.83**	**2500.00**	**2514.83**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
28. चावल का सुदृढ़ीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसका वितरण	...	...	...	20.00	...	20.00	9.00	...	9.00	70.00	...	70.00
कुल जोड़	*113929.41*	*1243.11*	*115172.52*	*121038.41*	*1197.02*	*122235.43*	*437458.00*	*1190.72*	*438648.72*	*251248.34*	*2725.96*	*253974.30*
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	113865.46	...	113865.46	120935.26	...	120935.26	437373.78	...	437373.78	250696.74	...	250696.74
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	65.02	...	65.02	71.46	...	71.46	70.70	...	70.70	73.91	...	73.91
3. नागरिक आपूर्ति	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण पर पूंजी परिव्यय	...	1054.52	1054.52	...	1022.02	1022.02	...	1019.32	1019.32	...	2520.75	2520.75
5. खाद्य भंडारण और भान्डागारण के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	...	188.59	188.59	...	150.00	150.00	...	146.40	146.40	...	165.00	165.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**113930.48**	**1243.11**	**115173.59**	**121006.72**	**1172.02**	**122178.74**	**437444.48**	**1165.72**	**438610.20**	**250770.65**	**2685.75**	**253456.40**
अन्य												
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	11.90	...	11.90	5.90	...	5.90	408.19	...	408.19
8. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-1.07	...	-1.07	19.79	...	19.79	7.62	...	7.62	69.50	...	69.50
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	40.21	40.21
जोड़-अन्य	**-1.07**	**...**	**-1.07**	**31.69**	**25.00**	**56.69**	**13.52**	**25.00**	**38.52**	**477.69**	**40.21**	**517.90**
कुल जोड़	**113929.41**	**1243.11**	**115172.52**	**121038.41**	**1197.02**	**122235.43**	**437458.00**	**1190.72**	**438648.72**	**251248.34**	**2725.96**	**253974.30**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारतीय खाद्य निगम	1049.00	177606.63	178655.63	1040.00	222095.00	223135.00	1040.00	151631.00	152671.00	2555.21	102495.00	105050.21
2. केंद्रीय भंडारण निगम	...	204.18	204.18	...	190.38	190.38	...	197.18	197.18	...	205.33	205.33
जोड़-	**1049.00**	**177810.80**	**178859.80**	**1040.00**	**222285.40**	**223325.40**	**1040.00**	**151828.20**	**152868.20**	**2555.21**	**102700.30**	**105255.50**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
जमा सहकारी समितियों को उधार												
3. सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड	...	20.78	20.78	...	20.00	20.00	...	12.00	12.00	...	40.00	40.00
जोड़-जमा सहकारी समितियों को उधार	**...**	**20.78**	**20.78**	**...**	**20.00**	**20.00**	**...**	**12.00**	**12.00**	**...**	**40.00**	**40.00**
जोड़	**1049.00**	**177831.59**	**178880.59**	**1040.00**	**222305.38**	**223345.38**	**1040.00**	**151840.18**	**152880.18**	**2555.21**	**102740.33**	**105295.54**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर:** यह प्रावधान राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के स्थापना व्यय के लिए है।

3. **खाद्य, गोदाम और भांडागारण के अन्य स्थापना व्यय:** यह प्रावधान शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसन्धान संस्थान, केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला, गुण नियंत्रण कक्ष के स्थापना व्यय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अनाज परिषद और अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद के सदस्यता शुल्क के लिए है।

4. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बंधित केंद्रीय सतर्कता समिति:** यह प्रावधान 1.00 लाख रूपए से कम है (वास्तविक खर्च 2019-20)

5. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य राजसहायता:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम के लिए (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी स्कीमों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत तथा उनके निर्गम मूल्य के बीच के अन्तर तथा (ii) बफर स्टॉक/कार्यनीतिक रिजर्व की रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए खाद्यान्नों के लेन-देन के संबंध में सब्सिडी के लिए है।

6. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति के लिए खाद्य राजसहायता:** यह प्रावधान खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अंतर्गत केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद करने वाली राज्य सरकारों को खाद्य सब्सिडी प्रदान करने के संबंध में है।

7. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी राजसहायता:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को चीनी राज सहायता प्रदान करने के लिए है|

8.01. **भारतीय खाद्य निगम को देय अर्थोपाय अग्रिम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के लिए खाद्यान्न की खरीद के सम्बन्ध में अपनी नकद धन की प्रवाह आवश्यकताओं की पूर्ति, बफर स्टॉक आवश्यकताओं और खाद्यान्न हेंडलिंग को अर्थोपाय अग्रिम हेतु है। इस अग्रिम को उसी वित्त वर्ष में समायोजित कर लिया जाएगा।

9. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के राज्य के भीतर और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन के लिए राज्य की एजेंसियों को सहायता:** यह प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्यान्नों के रखरखाव, अंतर्राज्यीय संचलन और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु राज्य-सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए है। बजट अनुमान 2021-22 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

10. **चीनी मौसम 2017-18 के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम:** संशोधित अनुमान 2020-21 में प्रावधान चीनी मिलों को चीनी मौसम 2017-18 के बकाया का भुगतान करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए है।

11. **चीनी मौसम 2018-19 के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम:** यह प्रावधान चीनी मिलों को चीनी मौसम 2018-19 के संबंध में उस चीनी मौसम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य के संबंध में किसानों के गन्ना मूल्य बकाया तथा पूर्ववर्ती चीनी मौसम के संबंध में गन्ना मूल्य बकाया के भुगतान के लिए सहायता प्रदान करने के लिए है।

12. **चीनी के 40 एलएमटी के बफर स्टॉक का सृजन और अनुरक्षण की स्कीम:** यह प्रावधान चीनी मिलों को 40 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक की ब्याज, बीमा और चीनी कारखाने में भंडारण प्रभारों के रूप में रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति हेतु चीनी मिलों को निधियां प्रदान करने के लिए है।

13. **चीनी के बफर स्टॉक का सृजन और अनुरक्षण की स्कीम:** यह प्रावधान चीनी मिलों को 30 लाख मी. टन चीनी के बफर स्टॉक की ब्याज, बीमा और चीनी कारखाने में भंडारण प्रभारों के रूप में रखरखाव लागत की बकाया भुगतान हेतु चीनी मिलों को निधियां प्रदान करने के लिए है।

14. **चीनी मौसम 2019-2020 के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम:** यह प्रावधान चीनी मिलों को चीनी मौसम 2019-20 के संबंध में उस चीनी मौसम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य के संबंध में किसानों के गन्ना मूल्य बकाया तथा पूर्ववर्ती चीनी मौसम के संबंध में गन्ना मूल्य बकाया के भुगतान के लिए सहायता प्रदान करने के लिए है।

15. **इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम:** यह प्रावधान चीनी मिलों के लिए एथनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नए इंसीनरेशन बॉयलरों की स्थापना करके मौजूदा डिस्टीलरियों में वर्ष के दौरान कार्य दिवस की संख्या बढ़ाकर तथा चीनी मिलों से संबद्ध नई डिस्टिलरियों की स्थापना करके एथनॉल उत्पादन क्षमता में विस्तार करने के लिए है।

16. **निर्यात के संबंध में आतंरिक परिवहन, मालभाड़ा, देखरेख तथा अन्य प्रभारों का भुगतान करने हेतु स्कीम:** चीनी मिलों के लिए इस सहायता का लक्ष्य चीनी मौसम 2018-19 के दौरान चीनी के निर्यात को सुगम बनाना है, जिससे चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके और वे चीनी मौसम 2018-19 के लिए किसानों को देय गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम हो सकें।

17. **चीनी मिलों को सरल ऋण प्रदान करने संबंधी स्कीम:** संशोधित अनुमान 2020-21 में यह प्रावधान चीनी मिलों को स्वीकृत ऋण पर ब्याज छूट प्रदान करने के लिए है, ताकि वे चीनी मौसम 2018-19 के लिए किसानों के देय गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में समर्थ हो सकें।

18. **निर्यात खेपों पर चीनी कारखानों को आतंरिक परिवहन तथा भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति और अन्य अनुज्ञेय दावों का भुगतान:** संशोधित अनुमान 2020-21 में यह प्रावधान माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय (बंगलुरु बेंच) द्वारा पारित निर्णय के अनुसार चीनी मिल के बकाया भुगतान के लिए है।

19. **चीनी के निर्यात पर हैंडलिंग, अपग्रेडिंग और अन्य कार्रवाई सबंधी लागत सहित विपणन लागत तथा अंतर्राष्ट्रीय और आतंरिक परिवहन की लागत एवं माल भाड़ा प्रभारों पर किए गए व्यय हेतु चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम:** यह योजना निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए है, जिसका उपयोग चीनी मौसम 2020-21 एवं पिछले चीनी मौसमों के लिए, यदि कोई हो तो, किसानों के गन्ना मूल्य बकाया के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

20.01. **चीनी उद्योग के विकास की स्कीमें:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को एजेंसी कमीशन के भुगतान करने के लिए है।

20.02. **चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन /आधुनिकीकरण के लिए ऋण:** यह व्यय चीनी कारखानों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करने के लिए है|

20.03. **गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण:** यह प्रावधान गन्ना विकास हेतु चीनी मिलों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए है।

20.04. **विद्युत परियोजनाओं के खोई आधारित सह-उत्पादन चीनी कारखानों को ऋण:** यह प्रावधान खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को रियायती ऋण देने हेतु हैं|

20.05. **एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को ऋण:** यह प्रावधान अल्कोहल से एनहाइड्रस अल्कोहल अथवा एथनॉल के उत्पादन के लिए चीनी कारखानों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए है।

21. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन का सुदृढ़ीकरण:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण से संबंधित स्कीमों जैसे प्रशिक्षण, टीपीडीएस के लाभार्थियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के लिए है। बजट अनुमान 2021-22 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 0.40 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

22. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समेकित प्रबंधन:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर खर्च के लिए है। बजट अनुमान 2021-22 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 3.00 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

23. **भंडारण और गोदाम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के द्वारा भंडारण क्षमता के निर्माण (गोदाम और साइलो) के लिए है। बजट अनुमान 2021-22 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

25. **भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण:** यह प्रावधान भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) तथा नेगोशिएबल वेयरहाऊस रसीदों/ट्रांस्फ़ार्मेशन प्लान की ऑनलाईन मानीटरिंग हेतु स्थापना व्यय एवं आई टी समर्थित प्रणाली संबंधी व्यय के लिए अनुदान-सहायता-वेतन तथा अनुदान-सहायता-सामान्य प्रदान करने के लिए है।

27. **भारतीय खाद्य निगम की इक्विटी पूंजी में निवेश:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम की ईक्विटी पूंजी में निवेश के लिए है।

28. **चावल का सुदृढ़ीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसका वितरण:** यह प्रावधान 15 चयनित जिलों में प्रायोगिक आधार पर एनीमिया तथा सूक्ष्मपोषक तत्वों की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सुदृढ़ीकृत चावल के वितरण के लिए है।